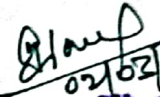


02/01/20

अभिलेख उपस्थापित। न्यायालय, अंचल अधिकारी, महेशपुर द्वारा प्रसंगत अभिलेख में पारित आदेश, जो भूमि सुधार उपसमाहर्ता, पाकुड़ द्वारा अनुसूचित एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, पाकुड़ को मूल अभिलेख अग्रसारित किया गया है, मौखिक निदेशानुसार इस कार्यालय को वापस किया गया है। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि जमाबंदी नियमितीकरण की दृष्टि में कार्रवाई नहीं की जा सकती है एवं बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 (झारखण्ड में अंगीकृत) की धारा-4 (h) के तहत जमाबंदी विलोपन का पर्याप्त आधार है। अतः मूल अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, पाकुड़ को भेजें।

  
02/01/2024  
Circle Officer  
Maheshpur